

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक

25.7.2023

उनवान

निर्णय दिनांक

26.10.2023

प्रकरण संख्या
253/2023

1. श्रीमति सुशीला देवी पत्नी जगदीश प्रसाद बडगुजर जाति खटीक निवासी रायला हाल निवासी बी-152 राधाकृष्ण कालोनी भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार पिता लालचंद बोरदिया निवासी 118 सुभाषनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी भैरूलाल बापना
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-
—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पालडी प0ह0 पालडी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 548 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 2234/1555 रकबा 0.4299 है0, आ0नं0 2235/1555 रकबा 0.4299 है0 कुल किता 0 कुल रकबा 0.8598 हैक्टियर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है।

और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से आदिनांक को अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पथरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पथरगढी कराना चाहते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।


प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पथरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित

विनोद कुमार
भीलवाडा

भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 रवीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौका पालडी प080 पालडी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 548 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 2234/1555 रकबा 0.4299 है0, आ0नं0 2235/1555 रकबा 0.4299 है0 कुल कितना 0 कुल रकबा 0.8598 हैकटेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उन्डी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का खर्च न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विनोद कुमार) 26.10.23
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा